

FAQ

TSC (सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान)

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान क्या है?

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई एक स्कीम है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता सुधार लाना है।

स्वच्छता अपनाने से क्या मिलेगा?

शरीर स्वस्थ रहेगा, उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी, बीमारियों पर लगने वाले खर्च बचेगा। महिलाएँ शौचालय को प्रयोग करेगी तो उनके साथ होने वाली घटनाओं में कमी आयेगी।

घर में शौचालय बनवाने से क्या लाभ होगा?

शौचालय का प्रयोग करने से बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, जिससे मृत्यु दर कम होगी। घर में शौचालय हो तो बच्चे, महिलाएँ एवं बड़े-बूढ़ों को आराम रहेगा।

घर में शौचालय बनवाने के लिए हमें सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाएगा?

यदि कोई बी० पी० एल० परिवार शौचालय बनवाता है तो सरकार उसके लिए 2200/- ₹० प्रोत्साहन राशी के रूप में देती है।

इस स्कीम में कौन-कौन ग्रामीण अनुदान प्राप्त कर सकता है?

बी० पी० एल०, समस्त अपसूचित जाति, लघु एवं सिमान्त किसान।

स्कूल तथा आगनवाड़ी केन्द्र में शौचालय बनवाने के लिए सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाएगा?

स्कूल हेतु 350000/- ₹० व आगनवाड़ी हेतु 8000/- ₹० की राशी सरकार द्वारा जारी की जाती है।

पीने के पानी का रखरखाव कैसे किया जा सकता है?

पीने के पानी को स्टैंड पर रखना चाहिए तथा इस्तेमाल हेतु डण्डीद्वार लौटे का प्रयोग करना चाहिए।

कूड़े कचरे एवं गोबर का निपटान कैसे किया जा सकता है?

कूड़े कचरे एवं गोबर का निपटान हेतु कूड़ा डालने की जगह पर एक मी० लम्बा, चौड़ा व गहरा गडढा खोदना चाहिए। गडढे के चारों ओर 10 सेंटी मी० उची मिट्टी की मट्ट बना कर ठोस कर दीजिए, जिससे गडढे में पानी आसानी से ना जा सके। हर सप्ताह गडढे के कूड़े को या पांचा (जैली) से बराबर करके तीन अंगुली मोटी मिट्टी की सतह बना दीजिए। इससे मक्खी-मच्छर पैदा नहीं होंगे। 2-3 महीन बाद बढिया खाद तैयार हो जायेगी।

खुले में शौच जाने से कौन सी बिमारियां फैलती हैं?

खुले में शौच जाने से पेट में कीड़े, दस्त, हैजा, मियादी बुखार, पीलिया, पेचिस व पोलियों जैसे भयानक बीमारियां फैलती हैं।

मानव मल कैसे हमारे शरीर में पुन प्रवेश करता है?

मानव मल निम्न लिखित माध्यमों से हमारे शरीर में पुन प्रवेश करता है:-

1. खुले में किये गये शौच पर बैठी मक्खियां हमारे खाने व अन्य सामान पर भी बैठती हैं, जिससे उनके पंजों में जमा मल हमारे शरीर में पुन: प्रवेश करता है।
2. खुले में किये गये शौच पर हमारे पांव पड़ते हैं जिससे मल के विषाणु हमारे घर में पुन: प्रवेश कर जाते हैं।
3. जब हम खुले खेतों में शौच करते हैं तो वहां पर उगने वाली फल व सब्जियों को बिना धोए एवं कच्ची खाने से मल के विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं।
4. खुले में किए गए शौच के सूखने के बाद वह हवा के साथ हमारे बर्तनों, खाने व पानी में मिल जाता है, जिससे वह हमारे शरीर में प्रवेश करता है।
5. हमारे खुले जल स्रोतों में हवा के साथ आया मल पानी को गन्दा कर देता है जोकि हम नहाने, पीने व जानवरों को नहलाने में उपयोग करते हैं।

क्या बच्चे का मल बड़े ये अधिक खतरनाक होता है?

हां क्योंकि बच्चों में पाचन शक्ति कम होती है, वह जो भी खाते या पीते हैं उसे वैसा ही बाहर निकाल देते हैं। पांच साल तक के बच्चों के मल में पोलियों के किटाणू पाये जाते हैं।

वाटर शौड

जल संग्रहण विकास परियोजना क्या है?

जल संग्रहण एक जल विज्ञान एकक अथवा ऐसा क्षेत्र जिसका एक ज्ञान पर जल निष्कासन होता है।

इस स्कीम में क्या-क्या कार्य करवाये जा सकते हैं?

इस स्कीम में निम्न लिखित कार्य करवाये जा सकते हैं:-

1. भूमि समतल के कार्य
2. रिसने वाले जलाशय
3. बागवानी
4. पौधारोपण
5. पक्के खाल का निर्माण
6. प्रदर्शन प्लांट
7. पक्के नाले की मरम्मत
8. फार्म पौंड आदि

एक जल संग्रहण विकास परियोजना में कितने हैक्टेयर क्षेत्र होता है?

एक जल संग्रहण विकास परियोजना में 500 हैक्टेयर क्षेत्र होता है।

एक हैक्टेयर पर कितना खर्च किया जा सकता है?

इस स्कीम के तहत 6000/- रू० प्रति हैक्टेयर खर्च किया जा सकता है।

इस स्कीम का लाभ लेने के लिए किस ये मिलना होगा?

गांव की जल संग्रहण समिति / ग्राम पंचायत

स्व-सहायता समूह में कौन सदस्य हो सकता है?

कृषि श्रमिक, भूमिहीन व्यक्ति, महिलाएं, अनुसूचित जाति के लोग।

स्व-सहायता समूह को इस स्कीम में क्या लाभ दिया जाएगा?

प्रत्येक समूह को 10000/- रू० की राशी अनधिक दर पर मुहैया करवाई जाएगी तथा मासिक आधार पर अधिक से अधिक 6 किस्तों में वापिस ली जाएगी।

ग्राम स्तर पर स्कीम का लेखा जोखा कौन रखेगा?

गांव की जल संग्रहण समिति / ग्राम सचिव

इस स्कीम में जिला, खण्ड व ग्राम स्तर पर कौन अधिकारी / कर्मचारी कार्य की देख रेख करता है?

खण्डस्तर पर खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, जल संग्रहण विकास दल तथा गांव स्तर पर जल संग्रहण समिति तथा ग्राम पंचायत

जल संग्रहण समिति कैसे बनाई जाती है?

समिति का चयन ग्राम सभा में किया जाता है।

समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं?

जल संग्रहण समिति में 10 से 12 सदस्य होते हैं इसमें 4-5 उपभेक्त समूह, 3-4 स्वयं सहायता, 2-3 ग्राम पंचायत तथा जल संग्रहण विकास दल के सदस्य होते हैं।

SGSY / BPL

बी0 पी0 एल0 कार्ड किस प्रकार बनता है?

सरकार की हिदायतों अनुसार जिस परिवार के जिला हिसार में 5 या 5 से कम अंक हैं वह बी0 पी0 एल0 का पात्र है।

बी0 पी0 एल0/ पीला कार्ड धारक कैसे लोन ले सकता है?

पीला कार्ड धारक जिसका नाम लिस्ट में है वह समूह बनाकर/ व्यक्तिगत ऋण ले सकता है।

व्यक्तिगत ऋण के लिए क्या काना पड़ता है?

व्यक्तिगत ऋण के लिए ऋण आवेदन पत्र सम्बन्धित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी से प्राप्त कर उसे पूरा करके उसी अधिकारी के पास जमा करवा दिया जाता है। यह ऋण प्रार्थना पत्र सम्बन्धित बैंक को लोन स्वीकृत करने के लिए भेजा जाता है।

स्वयं सहायता समूह कैसे बनाये?

बी0 पी0 एल0/ पीला कार्ड धारक समूह बना सकते हैं। एक समूह में 10 से 20 व्यक्ति (महिलाएं / पुरुष) शामिल हो सकते हैं। यदि विकलांग व्यक्ति हो तो 5 व्यक्ति मिल कर समूह बना सकते हैं। समूह में एक परिवार का केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है।

बैंक द्वारा समूह को ऋण प्रदान करने का क्या तरीका है?

बैंक स्वयं सहायता समूह को ऋण देन से पहले यह तय करता है कि ग्रुप ऋण लेन का पात्र है या नहीं। यह चयन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है:-

- समूह कम से कम 6 महीने कार्य कर चुका हो।
- समूह बचत इकट्ठित करने एवं उधार दी गई राशी वसूलने में सक्षम हो।
- समूह द्वारा अपने लेन देन का लेखा-जोखा ठीक प्रकार से रखा गया हो।
- समूह में आपसी सहयोग व मिलजुल कर कार्य करने की भावना हो तथा समूह की बैठके नियमित रूप से होती रही हो।

समूह को ऋण प्राप्ति के लिए किन-किन कागजात की जरूरत होती है?

- ऋण के लिए आवेदन पत्र। (दोहरी प्रतियों में)जोकि हमारी साईट से, खण्ड विकास कार्यालय या अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- प्रधान, सचिव एवं कोषाध्यक्ष की फोटो की तीन-तीन प्रतियां
- ऋण लेने हेतु समूह के प्रस्ताव की प्रति
- ऋण फार्म पर सम्बन्धित सरपंच, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा सहकारी बैंक के हस्ताक्षर सहित।